

1	2	3
31.	एअर होस्टेस	बिनोद पाण्डेय
32.	हक्के बक्के	मैसर्स नान-भुप
33.	रजनी	वासु चटर्जी
34.	अलग	जे० बनर्जी
35.	यह जो है जिन्दगी	घाटे कामगिरीया
36.	मंजिल अपनी अपनी	विशाल प्रोडक्शन
37.	चुनौती	अनिल चौधरी
38.	स्त्री	आष्टा टेलीकास्ट
39.	घर जवाईं	आष्टा टेलीकास्ट
40.	बनते बिगड़ते	राकेश चौधरी
41.	गौरव	मैसर्स सोनेक्स
42.	हम लोग	मनोहर श्याम जोशी/टाइम्स एण्ड स्पेस
43.	जीवन रेखा	मैसर्स यू०टी०वी०
44.	कान्टेक्ट क्विज	मैसर्स यू०टी०वी०
45.	विक्रम बेताल	रामानन्द सागर

इन्दौर में हेमा रेंज में अधिग्रहीत भूमि की प्रतिपूर्ति

1639. कुमारी लईदा खातून : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इन्दौर जिले में हेमा रेंज के लिए अधिग्रहण की गई भूमि हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में 15,97,92,276 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी किन्तु रक्षा मंत्रालय ने केवल 3,61,60,000 रुपये ही जमा कराये हैं जिसके कारण उन किसानों की प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था ;

(ख) पूरी धनराशि जमा न करने के क्या कारण हैं ?

(ग) पंचाट की घोषणा होने के तीन वर्ष बाद भी पूरी धनराशि जमा न करने के लिए कौन से प्राधिकारी उत्तरदायी हैं; और

(घ) क्या इसी तरह के अनेक अन्य उदाहरण हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा देश में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) से (ग) अधिग्रहीत भूमि की अनुमानित लागत के आधार पर इसके लिए सरकार ने 4.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। उस समय भूमि का कब्जा लेने के लिए भूमि-अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अत्यावश्यकता खण्ड के अनुसार कार्रवाई करने का विचार था इसलिए इच्छुक व्यक्तियों की भूमि का कब्जा लेने और कलक्टर द्वारा पंचाट की घोषणा किए जाने से पूर्व उन्हें मुआवजा दिए जाने के लिए 3.6160 करोड़ रुपये की राशि जोकि अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत थी कलक्टर इन्दौर के पास जमा करा दी गई थी।

दिसम्बर 1988 में कलक्टर ने मुआवजा और पुनर्वास अनुदान के रूप में क्रमशः 15,97,92,267.50 रुपये और 3.1926 करोड़ रुपये की अदायगी का निर्णय दिया। यह राशि बहुत अधिक समझी गई थी इसलिए कोई भूमि कब्जे में नहीं ली गई।

(घ) जी, नहीं।